सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 235/21 दिनांक- 22 मई 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- कप्तानगंज

प्रेम-प्रसंग में भीम की हत्या करने वाले तीन अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 21.05.2021 को प्रेम प्रसंग को लेकर अभियुक्तगणो द्वारा वादी के छोटे भाई भीम को साजिस के तहत बुलाकर कमरे में बन्द कर लाठी डण्डा से मार पीट कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में वादी मुकदमा शाहुल हरिजन पुत्र रामहरख हरिजन निवासी परसमनपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था , दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 67/2021 धारा 147/120 B/342/302 IPC व 3(2)5 SC/ST Act का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया अभियुक्त की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजगमढ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 22.05.2021 को प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज मय हमराही कर्म0गण के थाना हाजा से रवाना होकर देखभाल क्षेत्र कस्बा कप्तानगंज में मौजूद था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि उक्त मुकदमें के नामजद वांछित अभियुक्तगण कहीं भागने के फिराक में नेवादा मोड़ पर सवारी की प्रतीक्षा कर रहें है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कप्तानगंज मय हमराही कर्म0गण के साथ मुखबिर के बताये हुए स्थान पर पहुचकर नेवादा मोड़ पहुंचकर वहा खड़े उक्त व्यक्तियों के पास पुहंचे कि एका-एक पुलिस बल को देखकर हड़बड़ा कर तेज कदमों से जाने लगे कि पुलिस बल द्वारा उपरोक्त तीनो व्यक्तियों को घेर कर आवश्यक बल प्रयोग कर समय करीब 07.45 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियो को उनके अपराध से बोध कराकर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

1- मु0अ0सं0 67/2021 धारा 147/120B/342/302/34 IPC व 3(2)5 SC/ST Act थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. जगदीश निषाद पुत्र स्व0 गोमती निषाद निवासी परसमनपुर थाना कप्तागनंज आजमगढ़
2. बीरू निषाद पुत्र जगदीश निषाद निवासी परसमनपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
3. पुष्पा पुत्री जगदीश निषाद निवासी परसमनपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

1- आला कत्ल एक अदद मोगंड़ी

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक देवाननद थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 विरेन्द्र यादव थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
3. का0 अरूण कुमार यादव थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
4. का0 प्रमोद कुमार थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़
5. म0का0 प्रिंकी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़

थाना-जहानागंज

एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 26.03.2021 को वादी प्रभारी निरीक्षक श्री संदीप यादव थाना-जहानागजं जिला-आजमगढ उपस्थित थाना कार्यालय आकर एक किता फर्द वावत अभियुक्त पंचम राजभर पुत्र पूजन राजभर ग्राम निजामुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ के कब्जे से अवैध 50 लीटर अमिश्रित शराब , 86 अदद पाउच , 2 किलो यूरिया , 250 ग्राम नौशादर बरामद होने के सम्बन्ध मे दाखिल किये कि दाखिला फर्द के आधार पर थाना स्थानीय मे मु0अ0सं0 60/21 धारा 272/273 भादवि व 60(A) आबकारी अधिनियम बनाम पंचम राजभर पुत्र पूजन राजभर ग्राम निजामुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ व अलगू राजभर पुत्र दुख्खू राजभर ग्राम निजामुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्त पंचम राजभर पुत्र पूजन राजभर ग्राम निजामुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वंचित इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध शराब/अवैध असलहो की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 22. 05.2021 को उ0नि0 मनीष कुमार उपाध्याय मयहमराह का0 रोहित मिश्रा द्वारा वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में तथा अवैध शराब बनाने व बेचने वाले की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम मे मु0अ0सं0- 60/2021 धारा 272/273 भादवि व 60 (A) आबकारी अधिनियम के वाछित अभियुक्त अलगू राजभर पुत्र दुख्खू राजभर ग्राम निजामुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ को समय करीब 8.00 बजे अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

संबंधित अभियोग

मु0अ0सं0- 60/2021 धारा धारा 272/273 भादवि व 60(A) आबकारी अधिनियम थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

अलगू राजभर पुत्र दुख्खू राजभर ग्राम निजामुद्दीनपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम का विवरण

1.उ0नि0 मनीष कुमार उपाध्याय थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

2.का0 रोहित मिश्रा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

थाना तरवाँ

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ श्री सुधीर सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभियुक्त/वारण्टी/ जिला बदर अभियुक्तो की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद आजमगढ श्री पंकज कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री मनोज कुमार रघुवंशी व प्रभारी निरीक्षक तरवां श्री स्वतंत्र कुमार सिहं के कुशल निर्देशन मे आज दिनाक 22.05.2021 को उ0नि0 अखिलेश कुमार चौबे मय राह के साथ मुखबिर खास की सूचना प्राप्त हुई कि मु.अ.स. 131/2020 धारा 143/353/336/504/427/436 भादवि व 7 CLA ACT थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के वांछित अभियुक्त रवि कुमार राव पुत्र स्व0 नैश्री राव निवासी अराजी फुलाइच थाना तरवां जनपद आजमगढ़, इस समय बोंगरिया बाजार में घूम रहा है अगर जल्दी करेगे तो पकड़ा जा सकता है कि इस सूचना पर उ0नि0 मय राही मय मुखबिर खास को साथ लेकर बोंगरिया बाजार के लिये चल दिया कि जैसे ही बोंगरिया बाजार में अंग्रेजी शराब की दुकान के पास पहुंचा था कि मुखबिर खास पुलिया के पास एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके बताया कि साहब यह वही व्यक्ति है जिसका नाम रवि कुमार है जो आपको मुकदमें मे वांछित है और इतना बताकर मुखबिर खास भलाई बुराई के डर से हट बढ़ गया कि पुलिस वाले हिकमत अमली से खड़ा व्यक्ति के पास बढ़ने लगे खड़ा व्यक्त पुलिस वालो को अपनी ओर आता देख पीछे मुड़कर सीधे पक्की रोड पकड़कर भागने लगा जिसे दौड़ाकर 50 से 60 कदम जाते जाते घेरकर पुलिया के उस पार पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो वह

अपना नाम रवि कुमार राव पुत्र स्व0 नैश्री राव निवासी अराजी फुलाइच थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को ग्राम बोंगरिया बाजार पुलिया के पास से गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारी का स्थान – ग्राम बोंगरिया बाजार पुलिया थाना तरवाँ जनपद आजममगढ़

पूछताछ का विवरण – अभियुक्त अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपनी सफाई अपने अधिवक्ता के माध्यम से मा0 न्याया0 में देना बता रहे है।

पंजीकृत अभियोग –

1. मु.अ.स. 131/2020 धारा 143/353/336/504/427/436 भादवि व 7 CLA ACT थाना तरवां जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त – रवि कुमार राव पुत्र स्व0 नैश्री राव निवासी अराजी फुलाइच थाना तरवां जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – **1.** उ0नि0 श्री अखिलेश कुमार चौबे मय राह थाना तरवां आजमगढ़।